फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

: श्री रामलाल   बनाम   विपक्षी : श्री कैलाश

। मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम   पत्रावली संख्या : 62/23

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 03.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने पर सहमती जताई। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। मुल वाद में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा काउन्टर वाद प्रस्तुत किया गया हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रेकर्ड के यथास्थिति बनाये रखने हेतु अपनी सहमती व्यक्त की ताकि प्रकरण में वाद के निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार के मौका एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः उभय पक्षकारान आपस में सहमत होने से पत्रावली को आपसी सहमती अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 व विपक्षी का काउन्टर प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा बासंडा पटवार हल्का बासंडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 621 की आराजी नम्बर 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 किता 6 रकबा 0.2800 है. भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद एवं काउन्टर वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:22:13 IST
Reason: SelfAttested